न्याय आपके द्वार 2018

3-5-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान के कैम्प कोठी
खांकरी में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान को
सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध
रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना-पत्र
अनुसार [illegible] से सम्बन्धित मूल वाद
स्वामित्व एवं [illegible] से सम्बन्धित
है। मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व
रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये
रखने हेतु उभयपक्षों के अस्थायी निषेधाज्ञा
से [illegible]
अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आंशिक स्वीकार
किया जाता है तथा उभय पक्षों को मूल वाद
के निस्तारण तक इस आशय से पाबन्द/
निर्देशित किया जाता है कि ग्राम खांकरी
स्थित ख०नं० 239, 263, 266, 267, [illegible] 282, 358,
395 से 397, 399 एवं 400 कुल किता 25 कुल रकबा
13.67 है० भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा-
स्थिति बनाये रखें। प्रकरण [illegible]
[illegible]
[illegible] एवं मूल वाद के [illegible]
[illegible] राजस्व लोक अदालत कैम्प कोठी
खांकरी के [illegible] में [illegible]
सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा

लालू
नारायण
[illegible]
राधामोहन
रामलाल
कमलेश
नि.अ. गोपाल